कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बरबीघा
जिला– शेखपुरा

महाशय,

नगर पंचायत, बरबीघा के वर्ष 2013–14 से 15–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 302 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14625 / 357 दिनांक– 13/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, शेखपुरा

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

1162

# निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 302/16–17

## भाग – I

## प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत बरबीघा
2. लेखा की अवधि :– 2013–2014 से 2015–16 तक
3. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जॉच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 01.06.16 से 07.06.16 तक
5. प्रशासन :–

**1) मुख्य पार्षद का नाम** — **अवधि**
श्री चमरू पासवान — 01.04.13 से 31.03.16

**2) उपमुख्य पार्षद का नाम** — **अवधि**
श्री रौशन कुमार — 01.04.13 से 31.03.16

**3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी**

| कम संख्या | कार्यपालक पदाधिकारी का नाम | अवधि | |
|---|---|---|---|
| | | कब से | कब तक |
| 1 | श्री सुधांशु शेखर | 01.04.13 | 06.03.14 |
| 2 | श्री विजय कुमार सिंह | 06.03.14 | 27.09.14 |
| 3 | श्री ज्ञान प्रकाश | 27.09.14 | 23.07.15 |
| 4 | श्री राघवेन्द्र कुमार शर्मा | 23.07.15 | 09.09.15 |
| 5 | श्री दिनेश कुमार सिन्हा | 09.09.15 | 31.03.16 |

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**
1. श्री तनवीर हसन, व0 ले0 प0 अधिकारी
2. श्री सुबोध प्रसाद, स0 ले0 प0 अधिकारी
3. श्री आलोक कुमार, स0 ले0 प0 अधिकारी
4. श्री मनीष कुमार–II, ले0 परीक्षक

7 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन**:– अप्रस्तुत

8. **कार्यपालक से वार्तालाप की गई** :– हॉ

9. **लेखापरीक्षा का परिणाम**:–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :– शून्य
वसूली हेतु सुझाई गई राशि:– 3716311
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि:– 10308128
(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

**10 बजट**

अवास्तविक बजट

नगर पंचायत के बजट मे प्रावधनित आय– व्यय एवं वास्तविक आय– व्यय की तुलना में पाया गया कि दोनों के बीच बड़ा अन्तर था जिसका विवरण निम्नवत है:–

(161)

आय मद

| वर्ष | 2013—14 | 2014—15 | 2015—16 |
|---|---|---|---|
| बजट के अनुसार आय | 116045527 | 22106014 | 47685108 |
| वास्तविक आय | 50984221 | 40222907 | 73446678 |
| अंतर प्रतिशत में | 56.07 | 181.95 | 154.02 |

व्यय मद

| वर्ष | 2013—14 | 2014—15 | 2015—16 |
|---|---|---|---|
| बजट के अनुसार व्यय | 179973000 | 162119991 | 167196296 |
| वास्तविक व्यय | 46964526 | 61106983 | 46005871 |
| अंतर प्रतिशत में | 73.90 | 62.31 | 72.48 |

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वास्तविक आय– व्यय या तो बजट से बहुत अधिक थे या तो बहुत कम थे।

पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानो के अंतर्गत बजट को तैयार कर सरकार को 31 मार्च के पहले भेजना था किन्तु नगर पंचायत द्वारा सरकार को बजट का प्रेषण नही किया गया।

कार्यालय का जवाबः– भविष्य में बजट को वास्तविकता के अनुरूप बनया जाएगा। जानकारी के अभाव में सरकारको बजट का प्रेषण नहीं किया गया था। इस वर्ष से बजट सरकार को भेजा जा रहा है।

अतः बजट को वास्तविकता के अनुरूप बनाया जाय एवं इसे सरकार को प्रेषित किया जाय।

**11. अनुदान**

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदानों की राशि, अनुदान की प्राप्ति, उपयोग तथा लेखापरीक्षा अवधि के अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न रोकड़ बही के अनुसार विभिन्न मदों के अंतर्गत 102485930.00 रू अनुदान प्राप्त हुआ था। आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि कर्मचारियों के कमी के कारण अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया जा सका है। इसका संधारण शीघ्र कर लिया जाएगा।

(विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

अतः अनुदान पंजी का संधारण कराया जाय एवं अनुदान की उपयोगिता की स्थिति से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय तथा अव्यवहृत अनुदान का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

**12. वितीय अधिदृश्यः–**

कार्यालय द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार वित्तीय वर्षो 2013–14 से 2015–16 की अवधि में आय व व्यय की स्थिति निम्न थीः–

160

## 1. लेखापाल रोकड़ बही

| | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 150031090.75 | 152537546.75 | 134831438.35 |
| प्राप्तियॉः– | | | |
| 1 स्वयं का स्त्रोत | 8165269 | 9670615 | 5270671 |
| 2 अनुदान | 26239690.00 | 22395690.00 | 53850550 |
| 3 ब्याज | 4065664.00 | 3745654 | 2781222 |
| वर्ष की प्राप्ति (1+2+3) | 38470623.00 | 35811959.00 | 61902443.00 |
| कुल प्राप्ति | 188501713.75 | 188349505.75 | 196733881.35 |
| वर्ष का कुल व्यय | 35964167.00 | 53518067.40 | 37362661.80 |
| अंतशेष | 152537546.75 | 134831438.35 | 159371219.55 |

### लेखापरीक्षा टिप्पणियॉः–

1. रोकड़ बही व पासबुक की अंतर की राशि 116749.18 रू (159371219.55– 159254470.37) था, अर्थात बैंक में राशि रोकड़ बही से कम है।
2. एक ही रोकड़बही में कई मदों यथा योजनाएँ, स्वयं स्रोत, अन्य मद आदि से प्राप्त आय का लेखांकन किया गया था, तथा विभिन्न योजनाओं/गैर योजनाओं मद में व्यय किया गया था।
3. सहायक रोकड़बही संधारित नहीं किया गया था।
4. माह व वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था।
5. रोकड़बही के व्यय पक्ष में व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं किया गया था, जिससे यह पता करना मुश्किल था कि किस मद में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अव्यवहृत पड़ी थी तथा प्राप्त राशि जिस मद एवं जिस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप प्राप्त हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं ?

## 2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का आय–व्ययः–

| | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 22817787 | 24410627 | 21360267.15 |
| प्राप्तियॉः– | | | |
| 1 अनुदान | 11254392 | 3186000 | 1737000 |
| 2 ब्याज | 1088782 | 1071556 | 764177 |
| वर्ष की प्राप्ति (1+2) | 12343174 | 4257556 | 2501177 |
| कुल प्राप्ति | 35160961 | 28668183 | 23861444.15 |
| योजना पर व्यय | 10750334 | 7307200 | 8632927 |
| अन्य | 0 | 715.85 | 181.68 |
| कुल व्यय | 10750334 | 7307915.85 | 8633108.68 |
| अंतशेष | 24410627 | 21360267.15 | 15228335.47 |

139

### 3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आय–व्यय:–

| | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 4108588.58 | 4029007.58 | 3901399.58 |
| प्राप्तियाँ:– | | | |
| 1 अनुदान | 0 | 0 | 0 |
| 2 ब्याज | 170424.00 | 153392 | 384329 |
| 3 अन्य (तेरहवीं वित आयोग अनुदान की राशि) | – | – | 8658729 |
| वर्ष की प्राप्ति (1+2+3) | 170424 | 153392 | 9043058 |
| कुल प्राप्ति | 4279012.58 | 4182399.58 | 12944457.58 |
| योजना पर व्यय | 250000 | 271000 | 0 |
| अन्य | 25 | 10000 | 10100 |
| कुल व्यय | 250025 | 281000 | 10100 |
| अंतशेष | 4029007.58 | 3901399.58 | 12934357.58 |

तेरहवीं वित आयोग की राशि 8658729.00 रू को तेरहवीं वित के खाता व रोकड़ बही में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा जवाब में कहा गया कि कोषागार द्वारा गलत प्रविष्टि करने के कारण अन्तशेष में अंतर आ रहा है। इस संबंध में कोषागार से पत्राचार किया गया है।

कर्मचारियों की कमी के कारण सभी मदों की सहायक रोकड़ पंजी संधारित नहीं की गई है। इसे शीघ्र संधारित कर ली जाएगी। माह के अन्त में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार किया गया है। वर्षवार विवरणी भविष्य में बनायी जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

## दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

## DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

U58

## भाग–II(क)– शून्य

## भाग–II(ख)

**कण्डिका:– 1 वसूली गई राशि जमा नहीं, 65902.00 रू**

नगर पंचायत, बरबीघा द्वारा उपलब्ध कराये गये गृह रसीद व विविध रसीद के जाँच में पाया गया कि रसीद के माध्यम से होल्डिंग, दुकान किराया, सैरात, बस स्टैंड आदि से वसूली गई राशि रू0–85691.00 के विरूद्ध वसूलीकत्ताओं के द्वारा 19789.00 रू जमा किया गया एवं 65902.00 रू कम जमा किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:–

| क्रमांक | रसीद सं0 | कुल राशि | दिनांक | जमा राशि | नहीं जमा राशि | वसूलीकर्त्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801–900(एच) | 19897 | 01.08.13 से 06.03.13 | 19789 | 108 | कृष्णनंदन खाँ |
| 2 | 187(एम आर) | 1000 | 03.09.13 | 0.00 | 1000 | कार्यानन्द शर्मा |
| 3 | 400(एम आर) | 500 | 19.03.15 | 0.00 | 500 | रामस्वर्ण प्र0 सिंह |
| 4 | 470(एम आर) | 600 | 29.03.14 | 0.00 | 600 | रामस्वर्ण प्र0 सिंह |
| 5 | 500(एम आर) | 500 | 17.05.14 | 0.00 | 500 | रामस्वर्ण प्र0 सिंह |
| 6 | 201–300(एम आर) | 33194 | 10.03.16 | 0.00 | 33194 | धर्मेन्द्र कु0 धीरज |
| 7 | 136–165(एम आर) | 30000 | 10.03.16 से 30.05.16 | 0.00 | 30000 | धर्मेन्द्र कु0 धीरज |
| | | 85691 | | | 65902 | |

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा संबंधित व्यक्तियों से राशि जमा करा दिया गया। विवरण निम्नवत है।

| रसीद सं0 | दिनांक | राशि |
|---|---|---|
| 786 | 06.06.16 | 33194 |
| 787 | 07.06.16 | 108 |
| 788 | 07.06.16 | 1000 |
| 789 | 07.06.16 | 1600 |
| ——— | 06.06.16 | 30000 |
| | | 65902 |

वसूली की राशि को बैंक मे जमा नहीं दिखाया गया था। अतः उक्त राशि को बैंक में जमा करने का साक्ष्य अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

**कण्डिका:– 2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यय, राशि 7.21 लाख रू**

स्वर्ण जयंती शहरी रोजंगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 मे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक –02/स्वर्ण–06/08–1113 दिनांक 31.10.12 द्वारा नगर पंचायत बरबीघा को 30 लाख रू की राशि दिनांक 10.11.12 को प्राप्त हुई थी। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार राशि का व्यय निम्न घटकों में करना था:–

\157

| क्रम सं0 | मद का नाम | प्रतिशत | राशि |
|---|---|---|---|
| 01 | शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP) | 40 प्रतिशत | 1200000.00 |
| 02. | शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP) | 20 प्रतिशत | 600000.00 |
| 03. | शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP) | 20 प्रतिशत | 600000.00 |
| 04. | शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN) | 10 प्रतिशत | 300000.00 |
| 05 | (UWEP) | 10 प्रतिशत | 300000.00 |
| | | कुल | 3000000.00 |

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना (पत्रांक–927 दिनांक– 06.09.12) द्वारा निर्देश दिया गया था कि STEPUP के तहत प्रशिक्षण प्रारंभ करने तथा संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओ पर संस्थाओं की जॉच कर ले क्योंकि समयाभाव के कारण संस्थाओं के संबंध में कोई जॉच नहीं किया गया है:–

1. संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
2. प्रशिक्षक को संबंधित व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव।
3. संस्था को पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधा की उपलब्धता।
4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्थान, प्रतिदिन प्रषिक्षण की अवधि 4 घंटा, कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्युटर।
6. संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता।
7. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभाग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर पूर्णतः जॉच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर ही नगरपालिका द्वारा संबंधित संस्था को राशि का भुगतान किया जाये।

कार्यालय को प्रशिक्षण हेतु कुल 103 अभ्यर्थियों द्वारा कम्प्युटर में प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ, जिन्हें संस्था सोसाइटी फॉर इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कंकड़बाग से प्रशिक्षण दिलाया गया और संस्था को कुल 721000.00 रू प्रशिक्षण हेतु भुगतान किया गया, विवरण निम्न है:–

संस्था को भुगतान का विवरणः–

| चेक संख्या / तिथि | राशि | मद |
|---|---|---|
| 617301 / 13.02.13 | 200000 | प्रशिक्षण हेतु अग्रिम |
| 617302 / 24.09.13 | 250000 | |
| – / 03.09.14 | 271000 | |
| कुल | 721000 | |

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, संस्था का नाम व भुगतान का विवरण (प्रशिक्षण मद में):–

| ट्रेड का नाम | प्रति प्रशिक्षाणार्थी का निर्धारित व्यय (प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि हेतु) | कार्यालय द्वारा तय की गई दर | कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली राशि | संस्था को भुगतान की गई राशि (अग्रिम स्वरूप) | भुगतान हेतु लंबित राशि | मद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 | 8 |
| कम्प्युटर सॉफ्टवेयर | 6000 से 7000 | 7000 | 103 | 721000 | 721000 | 0 | प्रशिक्षण हेतु |
| | | | | 205794 | 0 | 205794 | टूल व किट्स वितरण हेतु |

**लेखा परीक्षा आपत्तियॉः–**

संचिका के जॉच में निम्न अनियमितताऍ पाई गईः–

1. विभाग के दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत ही तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही संस्था को प्रशिक्षण की राशि का भुगतान किया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इस दिशा निर्देश के विपरीत अनियमित रूप से संस्था को प्रथम, द्वितीय व तृतीय अग्रिम के रूप में क्रमशः 2.00, 2.50 व 2.71 लाख रू कुल 7.21 लाख रू का भुगतान कर दिया गया। पुनः संस्था द्वारा कोई विपत्र भी नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा संस्था से इसकी मांग की गई, फलतः यह राशि 7.21 लाख रू आज तक अग्रिम के रूप में ही है।
2. संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना था, जिसे उपलब्ध कराया गया या नहीं से संबंधित साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया।
3. इस योजना के लिए निकाय स्तर पर नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था। जहॉ नगर प्रबंधक पदस्थापित नहीं है, वहॉ निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी को ही यह कार्य करना था एवं नोडल पदाधिकारी इस योजना के सम्पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार थे तथा इनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्य की समीक्ष की जानी थी। परंतु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जॉच/कार्य का साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया। पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम की जॉच के लिए नगर पंचायत के किसी कर्मी को भी पर्यवेक्षण/जॉच का कार्य नहीं सौंपा गया।

155

4. प्रशिक्षण के उपरांत न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को संस्था द्वारा रोजगार मुहैया कराना था, परंतु एक भी प्रशिक्षाणार्थी को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया।
5. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजा गया या नहीं से संबंधित कोई साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया।
6. प्रशिक्षण प्रारंभ कराने से पूर्व संस्थाओं की जॉच विभाग द्वारा तय किये गये उपर्युक्त 11 बिंदुओं पर कराया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इसकी जॉच किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन/साक्ष्य/दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ये संस्थाएँ विभाग के उपर्युक्त शर्तो को पूरा करती हों।
7. अन्य चार घटक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP), शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP), शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN) एवं शहरी महिला रोजगार कार्यक्रम (UWEP) की योजनाएँ कियान्वित नहीं की गई एवं इन घटकों की राशि 18.00 लाख रू अनुपयोगित व अवरोधित पड़ी हुई है।
8. टूल व किट्स के विपत्र की राशि 205794.00 रू का भुगतान संस्था को किया जाना आज तक लंबित है।
9. सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षम युवक/युवतियों के आवेदन को कार्यालय द्वारा व्यवसायवार पंजी संधारित करना था, यदि किया गया हो तो इसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाय।
10. संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया एवं किस तिथि को समाप्त हुआ, सं संबंधित कोई साक्ष्य/प्रतिवेदन संचिका में नहीं पाया गया।
11. विभाग के पत्रांक–1916 दिनांक–08.08.14 द्वारा एक सप्ताह के अंदर इस योजना की अवशेष राशि को वापस करने का निदेश दिया गया, परंतु कार्यालय द्वारा विभाग को राशि वापस नहीं किया गया है। दिनांक 31.3.16 को इस योजना मद में राशि 4275628.00 रू (तेरहवीं वित आयोग की प्राप्त राशि 8658729.00 रू को छोड़कर) अवशेष है।

**कार्यालय का जवाबः**– संस्था को नोटिस देकर विपत्र की मांग की जाएगी। संस्था द्वारा कितने प्रशिक्षणर्थियों को रोजगार दिलाया गया उसकी मांग की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है। संस्थाओं द्वारा न्यूनतम 30 प्रतिशत पशिक्षणार्थियां को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, जिससे प्रशिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, फलतः प्रशिक्षण में व्यय की गई राशि 7.21 लाख रू अब तक निष्फल है। पुनः संस्थाओं द्वारा अब तक प्रशिक्षण में व्यय राषि का विपत्र नहीं दिया गया हैं एवं इन्हें प्रदान की गई राशि 7.21 लाख रू अग्रिम के रूप में ही है, जिसका समायोजन किया जाना वांछित है। अतः इसकी जॉच कराई जाय, एवं आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक व्यय राशि 721000.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

**कण्डिका:–3 बन्दोबस्ती राशि की कम वसूली, राशि 9.90 लाख रू**

प्राइवेट बस स्टैंड के वर्ष 2014–15 की बन्दोबस्ती में सफल डाकवक्ता श्री महेश प्रसाद सिंह के नाम से राशि 30.40 लाख रू में बन्दोबस्ती की गई, परंतु इनके द्वारा 20.50 लाख रू ही जमा किया गया। शेष राशि 9.90 लाख रू अब तक बन्दोबस्तीधारी द्वारा नहीं जमा किया गया है। विवरण निम्न है:–

| विविध रसीद संख्या | तिथि | जमा की गई राशि |
|---|---|---|
| 471 | 31.03.14 | 1200000 |
| 473 | 04.04.14 | 200000 |
| 477 | 11.04.15 | 150000 |
| 384 | 05.01.15 | 200000 |
| 708 | 01.04.15 | 300000 |
| | कुल | 2050000 |

यद्यपि कार्यालय द्वारा नोटिस दिया गया ,परंतु बन्दोबस्तधारी द्वारा आज तक राशि जमा नहीं किया गया है।

**कार्यालय का जवाब:**– वसूली हेतु सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई की जा रही है।

अतः राशि 990000.00 रू की वसूली कर लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाये।

**कण्डिका:– 04 कय में अनियमितताऍं:–**

**(क) आपूर्तिकर्ता से जमानत की राशि की कटौती नहीं**

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य के 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु कय से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन में यह पाया गया कि आपूर्तिकर्त्ताओं से कुछ कय में जमानत राशि की कटौती की गई एवं कुछ कय में राशि 225516.00 रू की कटौती से नहीं की गई थी।

**(ख) भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं**

सामग्रियों के कय के उपरांत सामग्रियों की प्रविष्टि भंडार पंजी में किया जाना है, परंतु कय किये गये सामग्रियों के पारित विपत्र पर भंडार पंजी में प्रविष्टि किये जाने की सूचना नहीं दर्ज की गई तथा न ही भंडार पंजी का संधारण किया गया।

(विवरण परिशिष्ट– V पर संलग्न)

**कार्यालय का जवाब:–**

1. भविष्य में जमानत की राशि की कटौती की जाएगी।
2. संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से आयकर जमा करने से संबंधित साक्ष्य देने हेतु नोटिस दिया जाएगा।
3. स्टॉक पंजी में संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।

153

जमानत की राशि की कटौती नहीं करने से सामग्रियों के रख– रखाव व खराब होने पर अतिरिक्ति व्यय का वहन कराना पड़ेगा। अतः जमानत की राशि की कटौती की जाय। भंडार पंजी में सामग्री की प्रविष्टि किया जाय तथा अगले अंकेक्षण मे दिखलाया जाये। तब तक राशि 9587128 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

**कण्डिकाः– 05 गृह कर माँग एवं वसूली की स्थिति**

गृह कर माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था, फलस्वरूप गृह कर की माँग एवं वसूली की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार 2013–14 से 2015–16 तक माँग, वसूली व बकाया की स्थिति निम्नवत् थीः–

| वर्ष | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| कुल माँग | 871756 | 776517 | 965074 |
| वसूली | 451471 | 194108 | 439296 |
| प्रतिशत वसुली | 51.78 | 24.99 | 45.51 |
| बकाया | 420285 | 582409 | 525778 |

**कार्यालय का जवाबः**– कर्मियों की कमी के कारण वसूली संतोषप्रद नहीं हो पाई है। भविष्य में आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

अतः वसूली का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

**कण्डिकाः–06 शिक्षा उपकर व स्वास्थ्य उपकर की राशियों का प्रेषण नहीं, राशि 1.84 लाख रू**

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर निगम अधिनियम 1972 के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मदों में वसूल की गई राषि का 10 प्रतिशत वसूल शुल्क काटकर सरकारी कोष में संबंधित आय शीर्ष में प्रेषण/जमा कर देना है क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर पंचायत मात्र इसका वसूलकर्ता के रूप में कार्य करता है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2013–14 व 2015–16 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मद में वसूल की गई कुल राशि 301352.00 रू थी, परंतु नगर पंचायत द्वारा इसमें से 10 प्रतिशत वसूली शुल्क काटकर शेष राशि 271217.00 रू को सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। विवरण निम्न हैः–

| वर्ष | शिक्षा उपकर | स्वास्थ्य उपकर | कुल |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | 62704 | 62704 | 125408 |
| 2014–15 | 26959 | 26959 | 53918 |
| 2015–16 | 61013 | 61013 | 122026 |
| | | कुल | 301352 |

कार्यालय का जवाबः– न.पं. बरबीघा की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि सरकार को प्रेषित नहीं की जा सकी। सरकार को राशि प्रेषित की जाएगी।

अतः राशि को सरकार को प्रेषित किया जाय।

**कण्डिकाः–07 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि 2.50 लाख रू**

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹ 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होने पूर्व में टावर का अधिष्ठापन किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तों 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

लेखा परीक्षा आपत्तियॉः–

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया थां।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 06 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे, जिनमें से केवल तीन टावरों से ही राशि जमा की गई। कुल मांग राशि 5.00 लाख रू के विरूद्ध राशि 2.50 लाख रू बकाया था।

3. संबंधित कम्पनियों को कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग में विलंब की अवधि के लिए ब्याज की राशि की मांग नहीं की गई।
4. नियमानुसार टावर पर लगाये गये प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है। परंतु इस संबंध में कार्यालय में कोई प्रतिवेदन नहीं था कि एक टावर पर कितना एंटिना लगाया गया था। जिसकी जॉच अपेक्षित है व नियमानुसार मांग प्रेषित किया जाय।
5. शुल्क नहीं देने पर ऑपरेटर के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजत की गई या नहीं से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
6. बकाया की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

**कार्यालय का जवाबः**— कम्पनियों को सूचना निर्गत की गई हैं। पुनः आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। पुनः उन्हें नोटिस देकर शीघ्र बकाया राशि देने हेतु कहा जाएगा।

अतः बकाया राशि एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित कर राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

**कण्डिकाः—08 योजना का दोहरीकरण**

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वैसे नगर निकायो जिनमे सरकार की पूर्व की प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना के अंतर्गत प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका था के लिये नगर सरकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया एवं इसके हेतु अनुदान जिसमें से पूर्व की योजना के अंतर्गत दिये गये अनुदान की राशि को काटना था की स्वीकृति दी गयी। सरकार के पत्र से स्पस्ट है कि यह योजना उन्हीं निकायों के लिये है जहॉ प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य आरंभ नही हुआ हो एवं साथ ही पूर्व मे प्रशासनिक भवन मद मे दिये गये अनुदान की इस मद के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुदान मे से घटाना था। यद्यपि बरबीघा नगर पंचायत मे प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है तथापि नगर पंचायत मे नगर सरकार भवन के निर्माण के लिए अनुदान दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

| क्रमांक | स्वीकृति/आवंटन पत्रांक सं0 एवं दिनांक | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 31/13.11.13 | 7547000 |
| 2 | 63/06.02.14 | 4733000 |
| 3 | 28/24.07.14 | 943396 |
| कुल | | 13223396 |

इसके साथ ही नगर पंचायत बरबीघा को पूर्व मे प्राप्त रु 2887875 एवं रु 1618875 को भी घटाया नहीं गया है।

**कार्यालय का जवाबः**—इस संबंध में विभाग से किसी तरह का मार्गदर्शन अभी तक नहीं मांगा गया है एवं संबंधित राशि नगर पंचायत के खता में ही पड़ी हुई है।

अतः सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुसार कार्रवाई की जाय।

**कण्डिकाः—09 योजना सं0—10/13—14 14**

योजना का नामः— मुख्य सड़क एसी0 सी0 हॉस्टल से असिया चक तक पथ निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि — 2285163.00 रू

तकनिकी स्वीकृति— कार्यपालक अभि0 दिनांक—14.01.13

प्रशासनिक स्वीकृति --16.09.13

कार्यादेश—02.11.13

एकरारनामा— 02.11.13

एकरारनामा की राशिः—2056647.00 रू

अभिकर्ता का नाम— श्री जय प्रकाश क0अ0 (डूडा), मधुबनी

मापीपुस्त —2152584.00 रू

योजना पर व्ययः—2152584.00 रू

1. संचिका के जॉच में पाया गया कि संवेदक को एकरारनामा की राशि (2056647) से अधिक भुगतान 95937 (2152584— 2056647) किया गया था।
2. एकरारनामा प्रपत्र एफ—2 के संविदा के शर्तनामा के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर कलाउज 2 के अनुसार पूर्ण नहीं किया जाता है तो संवेदक से प्राक्कलित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के रुप मे कटौती करना होगा जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा। संचिका के अवलोकन मे पाया गया कि कार्य 01.02.14 को समाप्त किया जाना था किन्तु कार्य 10.05.14 अर्थात लगभग तीन माह विलम्ब से समाप्त हुआ। इस प्रकार अंतिम भुगतान करते समय संवेदक से उपयुक्त नियमानुसार विलंब शुल्क की राशि 228516 (प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत) नहीं काटी गयी थी। फलस्वरुप संवेदक को राशि 228516 अधिक भुगतान किया गया था।

**कार्यालय का जवाबः—**

1. इस योजना में बी ओ क्यू से कुछ अधिक कार्य किया गया था, जिसका अनुमोदन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया था।
2. इस संबंध में जॉचकर कार्रवाई की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि एकररानामा की राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया, अतः राशि 95937.00 रू एवं विलंब शुल्क के रूप में कटौती नहीं की गई राशि 228516.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

**कण्डिकाः—10 योजना सं0—13/14—15**

योजना का नामः—पुनसेरा मेन रोड से पश्चिम उतर शांतिकुज स्कूल से आदर्श नगर होते हुए शक्ति पैन तक नाला निर्माण

प्राक्कलित राशि – 1865000.00 रू

तकनीकी स्वीकृति– कार्यपालक अभि० दिनांक–02.01.14

कार्यादेश–12.11.14

एकरारनामा– 12.11.14

मापीपुस्त –176872.00 रू

अभिकर्ता को भुगतानः–1753988.00 रू

टिप्पणी

1. उक्त योजना मे एकल संविदा पर कार्य का सम्पादन संवेदक नित्यानन्द कुमार द्वारा करवाया गया था। एकल संविदा पर योजना का कियान्वयन कराये जाने से संवेदक की प्रतिर्स्पधा से होने वाले लाभ से नगर पंचायत कार्यालय को वंचित हेाना पड़ा था।
2. एकरारनामा प्रपत्र एफ–2 के संविदा के शर्तनामा के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर कलाउज 2 के अनुसार पूर्ण नहीं किया जाता है तो संवेदक से प्राक्कलित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के रुप मे कटौती करना होगा जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा। संचिका के अवलोकन मे पाया गया कि कार्य 10.02.15 को समाप्त किया जाना था किन्तु कार्य 12.03.15 अर्थात लगभग 29 दिन विलम्ब से समाप्त हुआ। इस प्रकार अंतिम भुगतान करते समय संवेदक से उपयुक्त नियमानुसार विलंब शुल्क की राशि 186500 (प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत) नहीं काटी गयी थी। फलस्वरुप संवेदक को राशि 186500 अधिक भुगतान किया गया था।

**कार्यालय का जवाबः**— इस संबंध में जॉचकर कार्रवाई की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है। विलंब शुल्क के रूप में कटौती नहीं की गई राशि 186500.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

**कण्डिकाः—11 प्रशासनिक भवन के निर्माण के लागत में वृद्धि**

राज्य सरकार द्वारा ज्ञापांक 1398, दिनांक 30.3.07 द्वारा नगर पंचायत को प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन रू. 3850500 के आधार पर 75 प्रतिशत अनुदान अर्थात् रू. 2887875 अनुदान के रूप में दिया गया एवं शेष राशि नगर पंचायत को स्वयं के स्रोतों से वहन करनी थी। नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2007–08 में कार्य आरम्भ कर दिया गया। परंतु नगर पंचायत द्वारा रू. 2841002 की लागत से अधूरा निर्माण किया गया जिसमें द्वितीय तल का निर्माण पूरी तरह से बाकी रहा। पुनः विभाग द्वारा दिनांक 9.3.13 को रू 60.09 लाख के पुनरीक्षित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर शेष राशि के 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में रू. 1618875 का अनुदान दिया गया। नगर पंचायत द्वारा शेष कार्य निविदा द्वारा रू. 2688192 पर आवंटित किया गया। इस प्रकार प्रशासनिक भवन के निर्माण की कुल लागत रू. 3850500 से बढकर

रू. 5529194 (2841002 + 2688192) हो गयी। अर्थात् इस निर्माण में रू. 1678694 (5529194– 3850500) का अधिक व्यय हुआ। बिना किसी वैध कारण एवं योजना के समय पर आरंभ होने के बावजूद मॉडल प्राक्कलन पर योजना को पूर्ण नहीं कर पाने के चलते रू. 1678694 का अधिक व्यय हुआ। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रकार की लागत वृद्धि की स्थिति में वृद्धि की राशि को जिम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जानी है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि चूँकि प्रथम चरण का कार्य विभागीय स्तर पर कराया गया था एवं संबंधित अभिकर्ता को इस कार्य के अलावा अपना कार्यालय का मूल कार्य करना था। अतः योजना के कार्य में कुछ विलंब हुआ है ।

जवाब मान्य नहीं है। राशि 1678694 वसूली योग्य है।

**कण्डिका:–12 एकल निविदा पर योजना का कियान्वयन**

नगर पंचायत की योजना संचिका के जॉच मे पाया गया कि कई योजनाओ को एकल संविदा पर कियान्वयन करवाया गया था विवरणी निम्नवत है।

| | योजना सं0 | प्राक्कलित राशि | कुल व्यय | अंतिम मापी/तिथि | योजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डी0 पी0 आर0/3/14–15 | 145924 | 144463 | 145922 दि0 01.09.14 | पूर्ण |
| 2 | डी0 पी0 आर0/4/14–15 | 100000 | 90850 | 99101 दि0 22.08.14 | पूर्ण |
| 3 | डी0 पी0 आर0/5/14–15 | 113398 | 112831 | 112831 दि0 08.08.14 | पूर्ण |
| 4 | डी0 पी0 आर0/6/14–15 | 381100 | 356752 | 358726 दि0 28.08.14 | पूर्ण |
| 5 | डी0 पी0 आर0/7/14–15 | 2092000 | 2071060 | 2071060 दि0 10.10.14 | पूर्ण |
| 6 | डी0 पी0 आर0/8/14–15 | 536000 | 536249 | 536249 दि0 10.10.14 | पूर्ण |

उक्त योजना संचिकाओ के नमूना जॉच मे पाया गया कि योजना कियान्वयन हेतु नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से एक उच्चतर प्राधिकार के अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था साथ ही बहु संविदा की स्थिति मे प्रतिस्पर्धा से होने वाले लाभ से नगर पंचायत को वंचित रहना पड़ा था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि योजना का कार्यान्वयन अधीक्षण अभियंता, बुडा, पटना के निदेश के आलोक में की गई है ।

भविष्य मे एकल निविदा के माध्यम से कार्य सम्पादन कराने से बचा जाये एवं एकल निविदा की स्थिति मे एक उच्चतर प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

**कण्डिका:–13 विलंब शुल्क की कटौती नहीं रू. 470762**

एकरारनामा प्रपत्र एफ–2 के संविदा के शर्तनामा के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर क़लाउज 2 के अनुसार यदि कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नही किया जाता है तो संवेदक से प्राक्कलित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के रुप मे कटौती करना होगा जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा। संचिका के अवलोकन मे पाया गया कि तीन योजनाओ में कार्य निर्धारित समय के बाद की तिथि में समाप्त किया गया था किंतु विलम्ब शुल्क की राशि रू. 470762 की कटौती नहीं की गयी थी।

147

**कार्यालय का जवाबः**— आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि इस संबंध में जॉचकर कार्रवाई की जाएगी।

जवाब मान्य नहीं है। विलंब शुल्क के रूप में कटौती नहीं की गई राशि रू. 470762 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

**भाग- III (TAN)**

**टिप्पणीः— 1 ई गवर्नेस के तहत पुरूष वार्ड पार्षदों को टैबलेट/लैपटॉप/आईपैड कय हेतु प्राप्त राशि का लेखांकन नहीं, राशि 3.30 लाख रू**

नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या—4334 दिनांक—22.08.15 के द्वारा नगर पंचायत के 11 पुरूष वार्ड पार्षदों को टैबलेट/लैपटॉप/आईपैड कय हेतु 3.30 लाख रू की स्वीकृति दी गई। बैंक पास बुक पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या—0555000110125975 में यह राषि दिनांक 27.10.15 को नेफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि इस आवंटन की प्राप्ति से पूर्व ही आंतरिक संसाधन मद से 11 पुरूष वाड पार्षदों को NIECS, Fraser Road, Patna से दिनांक 07.09.15 को ही लैपटॉप कय कर उपलब्ध कराया जा चुका था।

परंतु नगर पंचायत द्वारा उपर्युक्त राशि का लेखांकण अर्थात रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं किया गया। राशिं की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय। पुनः राशि की प्रतिपूर्ति आंतरिक संसाधन मद में कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उक्त राशि को शीघ्र ही नगर पंचायत के रोकडबही में दर्ज कर आंतरिक संसाधन में अंतरण कर दिया जाएगा।

**टिप्पणीः— 2 रोकड़ बही में रू. 84642 का इंद्राज नहीं**

नगर पंचायत बरबीघा द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के जॉच के दौरान पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के बैंक खाता सं. 0555000100067531 पंजाब नेशनल बैंक से चेक सं. 163979, दिनांक 30.1.16 द्वारा रू. 84642 श्री विपिन कुमार को जमानत वापसी राशि दिया गया। जिसका रोकड़ बही में इंद्राज नहीं पाया गया।

कार्यालय का जवाबः— आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उपरोक्त राशि का रोकडबही के व्यय पक्ष में इंद्राज कर दिया जाएगा।

—हस्ता0—
आलोक कुमार
स0ले0प0अ0
—अनुमोदित—
उप महालेखाकार (SS-I)
—सह—
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

परिशिष्ट-1

[illegible] की सूची [illegible]

([illegible] के भाग-1 के कंडिका संख्या 3 में [illegible])

| क्रम सं0 | अभिलेख [illegible] |
|---|---|
| 1 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] |
| 4. | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| 7. | [illegible] (आंशिक) |
| [illegible] | [illegible] मांग एवं वसूली विवरणी |
| 10. | [illegible] ([illegible]) का मांग एवं संग्रहण विवरणी |
| 11. | [illegible] |
| 12. | [illegible] |
| 13 | |

*[illegible handwritten initials]*